

Non Judicial



Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government



Date : 19/05/2022

Certificate No. G0S2022E2116



Stamp Duty Paid : ₹ 4500
(Rs. Only)

GRN No. 90570586



Penalty : ₹ 0

(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Jai lal

H.No/Floor : Nil

Sector/Ward : Nil

LandMark : Nil

City/Village : Manesar

District : Gurugram

State : Haryana

Phone: 95*****91



Buyer / Second Party Detail

Name : Sagar education society

H.No/Floor : Nil

Sector/Ward : Nil

LandMark : Nil

City/Village: Manesar

District : Gurugram

State : Haryana

Phone : 95*****91

Purpose : Lease Deed

1785

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website <https://egrashy.nic.in>

किस्म वसीका	पट्टानामा
अर्सा	30 वर्ष
वाका मौजा	मानेसर
रकबा	8 कनाल 3 मरला 3 सरसाई
स्टाम्प	4,500/- रूपयें
स्टाम्प नं०	G0S2022E2116 दिनांक: 19.05.2022



मनके श्रीमति भगवती (आधार नं० 7842 9505 6387) विधवा व श्री रतन (आधार नं० 2797 4745 5042) – इकराम (आधार नं० 2654 1960 0309) – विरेन्द्र (आधार नं० 4101 5502 0590) – ब्रह्मप्रकाश (आधार नं० 7249 3049 1441) – जय लाल (आधार नं० 3894 3431 8614) – कुलदीप सिंह (आधार नं० 7701 8409 1007) पुत्रान श्री बलबीर सिंह पुत्र खुशीराम निवासीगण गाँव मानेसर तहसील मानेसर जिला गुरुग्राम,

रतन लाल इकराम विरेन्द्र
Jai Lal

Brahmaprakash

R.T.D
भगवती

प्रलेख नः1785

दिनांक:20-05-2022

डीड संबंधी विवरण		
डीड का नाम LEASE		
तहसील/सब-तहसील Manesar	गांव/शहर मानेसर	स्थित Manesar
शहरी - म्युनिसिपल क्षेत्र सीमा के अन्दर		अन्य क्षेत्र
पता : MANESAR		
भवन का विवरण		
कृषि गैर-मुमकिन		6 Kanal 41 Marla
धन संबंधी विवरण		
राशि 50000 रुपये		कुल स्टाम्प ड्यूटी की राशि 4500 रुपये
स्टाम्प नं : G0S2022E2116	स्टाम्प की राशि 4500 रुपये	
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 1000 रुपये	EChallan:90581687	पेस्टिंग शुल्क 3 रुपये
Drafted By: SHRINIWAS ADV		Service Charge:200

यह प्रलेख आज दिनांक 20-05-2022 दिन शुक्रवार समय 1:10:00 PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी कुलदीप सिंह पुत्र बलबीर सिंह जय लाल पुत्र बलबीर सिंह ब्रह्मप्रकाश पुत्र बलबीर सिंह विरेन्द्र पुत्र बलबीर सिंह इकराम पुत्र बलबीर सिंह श्री रतन पुत्र बलबीर सिंह श्रीमती भगवती विधवा बलबीर सिंह निवास MANESAR द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

रतन लाल विरेन्द्र
इकराम

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी (Manesar)

संयुक्त सब रजिस्ट्रार
मानेसर (गुड़गाँव)

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

कुलदीप सिंह जय लाल ब्रह्मप्रकाश विरेन्द्र इकराम श्री रतन श्रीमती भगवती

Brahm Prakash Jai Lal

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

या

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

रतन लाल विरेन्द्र
इकराम

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी (Manesar)

संयुक्त सब रजिस्ट्रार
मानेसर (गुड़गाँव)

दिनांक 20-05-2022

कुलदीप सिंह जय लाल ब्रह्मप्रकाश विरेन्द्र इकराम श्री रतन श्रीमती भगवती

Brahm Prakash Jai Lal

उपरोक्त पट्टा लेने वाला श्री/श्रीमती/कुमारी SAGAR EDUCATION SOCIETY thru RAKESH YADAVOTHER हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। प्रलेख के अनुसार 0 रुपये की राशि पट्टा लेने वाला ने मेरे समक्ष पट्टा देने वाला को अदा की तथा प्रलेख में वर्णित अग्रिम अदा की गई राशि के लेन देन को स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी SURAT NAMBERDAR पिता — निवासी MANESAR व श्री/श्रीमती/कुमारी RAVINDER YADAV ADV पिता — निवासी GGM ने की।

साक्षी नं:1 को हम नम्बरदार/अधिकृत के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नं:2 की पहचान करता है।

दिनांक 20-05-2022



उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी (Manesar)

संयुक्त सब रजिस्ट्रार
मानेसर (गुड़गाँव)

हरियाणा के है । जो कि हम आराजी जरई खेवट/खाता नं० 290/305 मु० नं० 41 किला नं० 21/2/4(1-13) व मु० नं० 58 किला नं० 1/5(1-14) व मु० नं० 59 किला नं० 16/1/4(0-16), 16/1/6(2-0), 17/1/3(0-1) किता 5 रकबा 6 कनाल 4 मरला सालम व खेवट/खाता नं० 291/306 मु० नं० 59 किला नं० 14/2/1/4(0-10), 15/2/3(1-5) किता 2 रकबा 1 कनाल 15 मरला का 166/315 भाग बकदर 0 कनाल 18 मरला 4 सरसाई व खेवट/खाता नं० 298/313 मु० नं० 41 किला नं० 21/2/2(0-12), 21/2/5(0-12) मु० नं० 58 किला नं० 1/3(0-12), 1/6(0-12), 10/2/2(0-12), 10/2/5(0-3) व मु० 59 किला नं० 6/1/3(0-7), 15/2/5(0-12), 16/1/2(0-12) किता 9 रकबा 4 कनाल 14 मरला का 1/8 भाग बकदर 0 कनाल 11 मरला 7 सरसाई व खेवट/खाता नं० 299/314 मु० नं० 59 किला नं० 14/2/1/1(0-3), 15/2/2(0-6) 16/1/5(0-7), 17/1/2(0-7) किता 4 रकबा 1 कनाल 3 मरला का 1/4 भाग बकदर 0 कनाल 5 मरला 7 सरसाई व खेवट/खाता नं० 669/723 मु० नं० 43 किला नं० 3/5(1-17) किता 1 रकबा 1 कनाल 17 मरला का 4/45 भाग बकदर 0 कनाल 3 मरला 3 सरसाई इस प्रकार उपरोक्त खेवट/खातो का कुल रकबा 8 कनाल 3 मरला 3 सरसाई वाका सिवाना मौजा मानेसर तहसील मानेसर जिला गुरुग्राम हरियाणा का मालिकान व काबिजान बरुवे इंतकाल नं० 5804 व जमाबन्दी साल 2016-2017 की रूह से है । जो कि उपरोक्त रकबा ताहाल हर किस्म के भार से पाक व साफ हैं । उपरोक्त आराजी की बाबत आज तक हमने किसी भी दीगर शख्स के साथ कोई ईकरारनामा, मूहायदा बय, रहन, बय वगैरा ना किया हुआ है व ना ही कुर्क व निलाम हैं व ना ही कोई मुकदमा विचाराधीन हैं और ना ही किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था से कोई लोन व कर्जा ना हैं । हर तरह से पाक व साफ हैं । अब हमे उपरोक्त आराजी से अच्छा किराया मिल रहा हैं, इसलिए आज अपने ठीक होश व हवास में बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी व खुशी से अपनी सदबुद्धि व स्वेच्छा से उपरोक्त आराजी रकबा 8 कनाल 3 मरला 3 सरसाई मजकूर बाला को बराए अर्सा 30 साल दिनांक: 20.05.2022 से 19.05.2052 तक बदले मुबलिंग: 50,000/-रुपयें (पचास हजार रुपयें) बिलमुक्मा के हिसाब से बहक बदस्त: SAGAR EDUCATION SOCIETY, Manesar , Gurugram बजरिये ऑथोराइज सिगनेचरी राकेश यादव पुत्र श्री इकराम निवासी गाँव मानेसर तहसील मानेसर जिला गुरुग्राम हरियाणा को पट्टे पर दे दी हैं । कब्जा मौके पर पट्टेग्रहता का करा दिया हैं,

रजाल इकराम MANESAR
Rajal

Brahampal

Reg. No.

Reg. Year

Book No.

1785

2022-2023

1



पट्टा देने वाला



पट्टा लेने वाला



गवाह



पट्टा देने वाला :- कुलदीप सिंह जय लाल ब्रह्मप्रकाश विरेन्द्र इकराम श्री रश्मि श्रीमती
भगवती रश्मि इकराम उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी

पट्टा लेने वाला :- RAKESH YADAVOTHERSAGAR EDUCATION SOCIETY

गवाह 1 :- SURAT NAMBERDAR Surat Nambardar

गवाह 2 :- RAVINDER YADAV ADV Ravinder Yadav

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 1785 आज दिनांक 20-05-2022 को बही नं 1 जिल्द नं 294 के पृष्ठ नं 79.25 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नं 1700 के पृष्ठ संख्या 53 से 55 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगूठा मेरे सामने किये है।

दिनांक 20-05-2022

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी (Manesar)
MANESAR संयुक्त सब रजिस्ट्रार
मानेसर (गुडगाँव)

जिस तरह पट्टाग्रहता काम में लावे उजर ना होगा । अब पट्टेदार को हक हैं की चाहे पट्टेदार अपने खर्चे से उपरोक्त अराजी में जो चाहे तरक्की करे, मकानात बनाये, चार दीवारी बनाये, पानी बोरिंग करे, बिजली/पानी/सीवर कनेक्शन अपने नाम से लेवे स्कूल बनावे, स्कूल के लिए किसी भी विभाग से मान्यता लेवे, सरकारी व गैर सरकारी बैंक से लोन लेवे, रहन करे, उपरोक्त आराजी पर कोई टैक्स फीस वगैरा देय होगा तो पट्टाग्रहता अदा करेगा, नक्शा पास करावे, दूरभाष लेवे, सेड बनावे, ऑफिस बनावे, स्कूल की बाबत फायर बिग्रेड से व वन विभाग से व पी.डब्ल्यू.डी. विभाग से व सरकार के किसी भी विभाग से एन.ओ.सी. व सी.एल.यू. लेवे, खेल ग्राउंड हेतु किसी प्रकार की कोई तामीर करे, और खेल ग्राउंड बनाने हेतु किसी किस्म की कोई कार्यवाही करे जिस तरह चाहे उपरोक्त रकबे को उपरोक्त म्याद तक प्रयोग में लावे । उपरोक्त जमीन की सी.एल.यू. व एन.ओ.सी. लेवे हमें उजर एतराज ना होगा । हम सी.एल.यू. व एन.ओ.सी. के कागजात पर हस्ताक्षर करने के पाबन्द रहेगे । तथा 30 साल बाद दोनों पार्टियों की सहमति होने पर पट्टानामा की म्याद आगे बढ़ाई जा सकती हैं । तमाम हर्जा खर्चा मय स्टाम्प वगैरा सब पट्टाग्रहता ने अपने पास से किया हैं । यदि 30 साल बाद दोनो पार्टियों की पट्टा म्याद बढ़ाने पर सहमति नहीं होती है, तो पट्टानामा कौन्सिल समझा जाएगा । लिहाजा यह पट्टानामा लिख दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे । तहरीर तारीख:

Drafted By
SHRI NIWAS (Advocate)
Distt. Court Gurugram
Reg. No. P/1143/2008

20/05/20

रजनीश
दुकान
बिरोड

पट्टाकर्ता:-

Brahampallesh
Jain

पट्टाग्रहता:



President
Narbartar Association
Tehsil- Manesar

गवाह:-2

Ravinder Yadav Adv.
Distt Court Gurugram

